राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.8(2)(26)निर्वा/2014/ 9094 जयपुर, दिनांकः 13-8-2014

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) झुंझुनूं, भरतपुर, अजमेर एवं कोटा।

विषयः— विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 26—सूरजगढ़, 75—वैर (अजा), 102—नसीराबाद एवं 190—कोटा दक्षिण के उप चुनाव, 2014— सम्पत्ति का विरूपण एवं चुनाव अभियान बाबत।

प्रसंगः— भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 3/7/2008/JS-II दिनांक 7.10.2008 एवं 10.11.2008, 464/INST/EPS दिनांक 18.03.2009, 76/INST/2011/EEM दिनांक 07.04.2011 तथा विभागीय पत्रांक प.8(2)(12)निर्वा/2013/2214 दिनांक 06.03.2014 एवं प.8(2)(12)निर्वा/2013/3603 दिनांक 24.03.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लोक सभा आम चुनाव, 2014 के दौरान सम्पत्ति के विरूपण को रोकने एवं चुनाव अभियान के संबंध में आयोग के प्रासंगिक निर्देशों के क्रम में विभागीय प्रासंगिक पत्रों द्वारा मार्गदर्शन जारी किये गये थे। जिनकी छाया प्रतियॉ पुनः संलग्न की जाकर निवेदन है कि आगामी विधानसभा उप चुनाव, 2014 के दौरान उक्त दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। यह भी निवेदन है कि उप चुनाव के दौरान सम्पत्ति विरूपण संबंधी निर्देश उप चुनाव होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ही प्रभावी रहेंगे।

कृपया उक्त आदेशों से राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को भी अवगत कराने का श्रम करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.8(2)(26)निर्वा/2014/9094 जयपुर, दिनांकः 13-8-2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
2. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 26—सूरजगढ़, 75—वैर (अजा), 102—नसीराबाद एवं 190—कोटा दक्षिण के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ।
3. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प.8(2)(12)निर्वा/2013/2214 जयपुर, दिनांकः 6/3/14

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर्स),
राजस्थान – समस्त।

विषयः लोकसभा आम चुनाव, 2014 – सम्पत्ति का विरूपण एवं चुनाव अभियान बाबत।

प्रसंगः भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 3/7/2008/JS-II दिनांक 07–10–2008 एवं दिनांक 10–11–2008 तथा 464/INST/2009/EPS दिनांक 18.03.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आगामी लोकसभा आम चुनाव के लिये चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक/निजी स्थलों, मैदानों, वाहनों आदि पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित जाना संभावित है। चुनाव प्रचार सामग्री किस–किस प्रकार की कहां–कहां पर लगाई जा सकती है इस संबंध में मार्गदर्शन चाहे जाते हैं। चुनाव अभियान के दौरान लगाई जाने वाली चुनाव प्रचार सामग्री के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं स्थानीय विधि की पालना किया जाना आवश्यक है। इस विषय में गत विधानसभा आम चुनाव के दौरान इस विभाग के दिनांक 07.10.2013, दिनांक 10.10.2013 एवं 20.10.2013 को जारी परिपत्रों में स्थिति स्पष्ट की गयी थी। इसी कम में भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक निर्देशों के दृष्टिगत निम्नानुसार पुनः अवगत कराया जा रहा है।

2. **शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पति का प्रचार हेतु उपयोग –**

2.1 स्थानीय नगर पालिका संस्था द्वारा चिन्हित स्थलों पर होर्डिंग्स आदि विज्ञापन लगाये जाते हैं। ऐसे चिन्हित विज्ञापन स्थल प्रायः नगर पालिका संस्थाओं द्वारा किराये पर किसी निजी कम्पनी/संस्था को दे दिये जाते हैं। इस संदर्भ में राज्य में विज्ञापन एवं सम्पत्ति विरूपण से संबंधित निम्नलिखित कानून प्रचलित है :–

(i) राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 (केवल नगर पालिका क्षेत्र में प्रभावी)

(ii) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नगरपालिका संस्थाओं द्वारा बनाई गई उप विधियां (bye-laws)

2.2 राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 (जिसे इस परिपत्र में अधिनियम, 2006 वर्णित किया गया है) राज्य में दिनांक 17.1.06 से लागू किया गया है तथा उक्त अधिनियिम की धारा 10 के अन्तर्गत इसे अन्य प्रचलित अधिनियमों पर अध्यारोही (override) बनाया गया है। अधिनियम, 2006 की प्रति संलग्न है। अधिनियम, 2006 की धारा 2(क) के तहत "विरूपण" (defacement) शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार है:–

"defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty, damaging disfiguring spoiling or injuring in any way whatsoever and the word "deface" shall be construed accordingly"

2.3 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत नगर पालिका संस्थाओं के द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शन किये जाने के संबंध में राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद राजपत्र में प्रकाशित करते हुए उप विधियाँ (bye-laws) बनायी जा सकती है। इन उप विधियों के अनुसार इलेक्ट्रोनिक डिस्पले, यूनीपोल पर विज्ञापन, फुट ओवर ब्रिज विज्ञापन, गेन्ट्री विज्ञापन आदि प्रकार के विज्ञापन एक विहित प्रक्रिया के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किये जाने की अनुमति देने का प्रावधान किया हुआ है।

2.4 इस प्रकार अधिनियम, 2006 की धारा 2(क) के अन्तर्गत परिभाषित "विरूपण" के अनुसार जिन–जिन कृत्यों को सम्पत्ति को विरूपित करना माना गया है उसमें निम्न कृत्य शामिल नहीं है :–

(i) नगरपालिका संस्था द्वारा विज्ञापन उपविधियों के तहत बनाये गये विज्ञापन पट्ट, यूनी पोल्स आदि क्योंकि इन्हें जिस प्रयोजनार्थ बनाया गया है उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना इनके स्वरूप या सौन्दर्य का ह्रास करना नहीं माना जा सकता।

(ii) नगरपालिका संस्था द्वारा निर्धारित स्थानों पर विज्ञापन उपविधियों के तहत स्वीकृत लाईसेन्सधारी द्वारा या उसकी स्वीकृति से लगाये गये पोस्टर, बैनर आदि।

2.5 अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ग) के अनुसार सम्पत्ति को परिभाषित किया गया है, जिसमें निजी सम्पत्ति भी शामिल है। निजी सम्पत्ति पर मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से अस्थाई रूप से बैनर या झण्डे लगाना अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खण्ड (क) में परिभाषित "विरूपण" की परिभाषा में नहीं आता है, अतः शहरी क्षेत्र में निजी सम्पत्ति पर मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से बैनर या झण्डे लगाना राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं है।

2.6 सार्वजनिक स्थानों पर लगे ऐसे चिन्हित विज्ञापन स्थलों पर कोई विशिष्ट राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी एकाधिकार नहीं कर सकें एवं सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 4 में दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जो सुलभ संदर्भ के लिए निम्नानुसार उद्धृत है :–

"(a) No wall writing, pasting of posters/papers or defacement in any other form, or erecting/displaying of cutouts, hoardings, banners flags etc. shall be permitted on any Government premise (including civil structures therein). For this purpose a Government premise would include any Govt. office and the campus wherein the office building is situated.

(b) If the local law expressly permits or provides for writing of slogans, displaying posters, etc., or erecting cut-outs, hoardings, banners, political advertisement, etc., in any public place, (as against a Govt. premise) on payment or otherwise, this may be allowed strictly in accordance with the relevant provisions of the law and subject to Court orders, if any on this subject. It should be ensured that any such place is not dominated/monopolized by any particular party(ies) or candidate(s). All parties and candidates should be provided equal opportunity in this regard.

(c) If there is a specifically earmarked place provided for displaying advertisements in a public place, e.g. bill boards, hoardings etc. and if such space is already let out to any agency for further allocation to individual clients, the District Election Officer through the municipal authority concerned, if any, should ensure that all political parties and candidates get equitable opportunity to have access to such advertisement space for election related advertisements during the election period."

2.7 भारत निर्वाचन आयोग के उक्त दिशा निर्देशों से स्पष्ट है कि चुनाव प्रचार हेतु सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को विज्ञापन स्थलों का उपयोग करने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिये जिसके लिये समुचित कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में की जायेगी।

2.8 चुनाव प्रचार अभियान के दौरान यह सम्भाव्य है कि विज्ञापन सामग्री में भड़काने वाले विज्ञापन हो सकते है या किसी नेता के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप से संबंधित हो सकते है या आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों के विपरीत हो सकते है। ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापनों को सार्वजनिक एवं चिन्हित स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने पर नियत्रंण करना भी आवश्यक है।

2.9 अतः चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चिन्हित विज्ञापन स्थलों को उपयोग करने का समान अवसर उपलब्ध कराने और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के विपरीत विज्ञापन सामग्री के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के प्रयोजन से निम्नांकित कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जाते है :–

(i) नगर पालिका की अनुबंधित संबंधित फर्म द्वारा चुनाव संबंधी विज्ञापनों के लिए जिले में चिन्हित किए गए **विज्ञापन स्थलों की सूची** एवं उनमें प्रत्येक के लिए अनुबंधित फर्म द्वारा **निर्धारित की हुई दरों की सूची** संबंधित नगरपालिका संस्था के माध्यम से संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अविलम्ब प्राप्त करेंगे तथा इस सूची के पश्चात् अब कोई अन्य विज्ञापन स्थल अनुबंधित फर्म अथवा नगरपालिका संस्था द्वारा चिन्हित नहीं किया जाएगा और न हीं दी गई दरों में कोई परिवर्तन किया जाएगा।

(ii) नामांकन कार्यवाही 20 संसदीय क्षेत्रों में दिनांक 19.03.2014 से एवं 5 संसदीय क्षेत्रों में दिनांक 29.03.2014 से प्रारम्भ होगी और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति इन क्षेत्रों में क्रमशः दिनांक 29.03.2014 एवं दिनांक 09.04.2014 को स्पष्ट हो सकेगी, अतः अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि से पूर्व यदि कोई राजनीतिक दल या संस्था/संगठन चुनाव संबंधी विज्ञापनों के लिए चिन्हित किसी विज्ञापन स्थल पर अपना विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहे तो उसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 29.03.2014/09.04.2014 तक के लिए ही दी जायेगी।

(iii) चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने के दिन दिनांक 29.03.2014/09.04.2014 को सांयकाल में 5.00 बजे के पश्चात् किसी समय तथा संसदीय क्षेत्र का भाग अन्य जिले में भी आता है तो अन्य जिले में यथाशीघ्र आगामी किसी दिवस को चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक बैठक अन्य जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बुलाई जायेगी। उक्त बैठकों में जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में उक्त चिन्हित विज्ञापन स्थलों की सूची की

प्रति संभी अभ्यर्थियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराते हुए उनसे अपेक्षा करेंगे कि अभ्यर्थी या उनका राजनैतिक दल कौन–कौन से विज्ञापन स्थलों का उपयोग करना चाहते है। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत जानकारी दी जायेगी कि किस प्रकार की विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित करना निषिद्ध है।

(iv) खंड (iii) के अनुसार आयोजित बैठक के आगामी दिवस को 3.00 बजे अपरान्ह तक उक्त अभ्यर्थी चिन्हित् विज्ञापन स्थलों को उपयोग करने हेतु आवेदन संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को कर सकेंगे। विज्ञापन स्थल का किराया अनुबंधित फर्म द्वारा पूर्व में अवगत कराई गई दरों के अनुसार ही देय होगा और यदि किन्हीं विज्ञापन स्थलों का किराया नगर पालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उन विज्ञापन स्थलों का किराया भी पूर्व निर्धारित दर के अनुसार ही देय होगा।

(v) उक्त खंड (iv) के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा जिले में विज्ञापन स्थलों के आवंटन की अनुशंषा की जायेगी। अन्तिम निर्णय संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और जिसके अनुरूप ही नगर पालिका संस्था द्वारा विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जायेगी।

(vi) यदि चिन्हित विज्ञापन स्थलों की संख्या अधिक है, और प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या कम है तो आवेदक द्वारा चाहा गया विज्ञापन स्थल आवंटित किया जायेगा। यदि किसी विशेष विज्ञापन स्थल के लिये एक से अधिक आवेदन पत्र है तो लाटरी के ज़रिये आवंटन किया जायेगा।

(vii) यदि विज्ञापन स्थलों की संख्या से अधिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटन करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों के आधार पर आनुपातिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटित किये जायेंगे।

(viii) उपरोक्त प्रकार से किये गये आवंटन के पश्चात् यदि कोई विज्ञापन स्थल शेष बचता है तो First Come First सिद्वान्त के आधार पर राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या संस्था या व्यक्ति को समिति की अनुशंषा के आधार पर आवंटन किया जायेगा।

(ix) उपरोक्त सभी आवंटनों में यह शर्त भी होगी कि विज्ञापनों में प्रदर्शित पोस्टर या पम्पलेट पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के अन्तर्गत

अपेक्षित मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा पता आवश्यक रूप से मुद्रित होगा अन्यथा उसे हटा दिया जायेगा। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी/व्यक्ति या संगठन द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स के Text/ सामग्री को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है तो वह इसकी फोटो लेकर निर्वाचन विभाग को तत्काल रैफर करेगा ताकि ऐसे होर्डिंग्स को लगाये रखना है या नहीं इस संबंध में आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

(x) चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने से पूर्व के चरण में राजनैतिक दलों द्वारा उक्त खण्ड (ii) के अनुसार अपने दल के चुनाव प्रचार हेतु विज्ञापन स्थल चाहे जाने पर इनके आवंटन के लिए उक्त खंड (iii) से (ix) में बतायी गयी प्रक्रिया अपनाई जावें और तद्नुसार विभिन्न राजनैतिक दलों को जिले में उपलब्ध पूर्व चिन्हित यूनीपोल, होर्डिंग्स, ओवर हैड गैन्ट्री आदि की साइट्स पूर्व निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु आवंटित की जावेगी। इस हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक तुरन्त आयोजित कर उनसे आवेदन प्राप्त कर लिये जावें।

3. **ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञापनों का प्रदर्शन –**

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पति के विरूपण के संबंध में कोई कानून नहीं है। इस संबंध में आपका ध्यान निर्वाचन विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2013 के पैरा 3 एवं 4 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें स्पष्ट किया जा चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पति के विरूपण के संबंध में राज्य में कोई कानून निर्मित नहीं होने के कारण भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.08 के पैरा 4 एवं 5 के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) भारत निर्वाचन आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र दिनांक 10.11.2008 के द्वारा निजी सम्पतियों के संबंध में इसी बिन्दु को पुनः स्पष्ट किया है, जो निम्न प्रकार है:–

"In States where there is no Law on defacement of private property, as per the Commission's instructions, temporary and easily removable campaign material such as flags and banners would be permitted with the written permission of the owner/occupant of the property. The permission should be a voluntary one, and copy of the written permission obtained is to be submitted to the Returning Officers concerned."

(iii) जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन सामग्री लगाये जाने का प्रश्न है इस संबंध में आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 4 के खंड

(a) एवं खंड (c) के प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू माने जायेंगे, जो निम्न प्रकार है:—

DEFACEMENT OF PUBLIC PLACES

(iv) 4. (a) No wall writing, pasting of posters/papers or defacement in any other form, or erecting/displaying of cutouts, hoardings, banners flags etc. shall be permitted on any Government premise (including civil structures therein). For this purpose a Government premise would include any Govt. office and the campus wherein the office building is situated.

(c) If there is a specifically earmarked place provided for displaying advertisements in a public place, e.g. bill boards, hoardings etc. and if such space is already let out to any agency for further allocation to individual clients, the District Election Officer through the municipal authority concerned, if any, should ensure that all political parties and candidates get equitable opportunity to have access to such advertisement space for election related advertisements during the election period.

(v) सार्वजनिक स्थलों पर राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापनों के लगाये जाने हेतु उन्हें समान अवसर देने संबंधी प्रकिया इस पत्र के उपरोक्त पैरा 2.9 में बताई गई है, वह प्रकिया ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों के संबंध में भी अपनाई जा सकती है।

4. निजी सम्पति पर विज्ञापनों का प्रदर्शन—

4.1 जैसा कि इस परिपत्र के पैरा 2.5 में स्पष्ट किया जा चुका है शहरी क्षेत्रों में निजी सम्पति पर भी विज्ञापन उक्त अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है लेकिन निजी सम्पति पर मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से केवल बैनर या झंडें लगाये जा सकते हैं। मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति के बाद लगाये जाने वाले बैनर या झंडें के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। जैसा कि आयोग के प्रासंगिक पत्र 07.10.2008 के पैरा 5 में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया हुआ है।

4.2 जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, इस संबंध में राज्य में कोई कानून बनाया हुआ नहीं है लेकिन आयोग के निर्देशों के अनुसार निजी सम्पति के मालिकों या अधिभोगियों की लिखित अनुमति से ऐसी सामग्री जो आसानी से हटाई जा सकती हो, यथा झंडें और बैनर, लगाये जा सकते हैं। आयोग के परिपत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 5 के अनुसार ऐसी लिखित सहमति की प्रति के साथ ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

5. वाहनों पर प्रचार सामग्री का प्रदर्शन –

5.1 चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वाहनों पर लगाये जाने वाले स्टीकर, झण्डे, बैनर के संबंध में भी आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 8(a) एवं 8(b) में निर्देश दिये है। उक्त पत्र के पैरा 8(a) के अनुसार मोटरयान अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा न्यायिक आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए निजी वाहन स्वामी अपने वाहन पर अपनी पसंद (volition) से किसी दल या अभ्यर्थी का झंडा और स्टीकर लगाता है और साथ ही इससे यदि राहगीरों को उद्विग्नता अथवा असुविधा नहीं होती हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, अभ्यर्थी की अनुमति लिये बिना, अपने वाहन पर झंडे तथा स्टीकर इस प्रकार से लगाता है जिससे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मत याचना का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–एच आई.पी.सी. के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

5.2 अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के प्रयोजन से लिये गये तथा प्रयोग में लिये गये उसके व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जायेगा तथा बाजार दर से ईंधन पर अनुमानित व्यय तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी के व्यय–लेखे में शामिल किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा लिये गये अन्य वाहनों का प्रयोग प्रचार के प्रयोजन से किया जाता है तो इस प्रकार के वाहनों को किराये पर लेने के लिए अधिसूचित दर के अनुसार अनुमानित व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल किया जायेगा। (आयोग का परिपत्र क्रमांक 76/अनुदेश/2011/ई.ई.एम. दिनांक 07.04.2011)

5.3 वाणिज्यिक वाहनों पर झंडें या स्टीकर लगाने पर उसे प्रचार के उपयोग में लाना माना जायेगा। अतः वाणिज्यिक वाहनों पर झंडे, स्टीकर आदि लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उस वाहन का चुनाव प्रचार अभियान के लिए अपेक्षित अनुमति (Permit) जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त नहीं कर लिया गया हो। ऐसे मामलों में उस वाहन का मूल Permit वाहन के wind screen पर प्रदर्शित करना आवश्यक है।

5.4 मोटरयान अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए वाहनों में लाउडस्पीकर सक्षम अधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त कर लगाये जा सकते हैं। विशेष प्रचार वाहन जैसे विडियो–रथ आदि सक्षम अधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त कर उपयोग में लिये जा सकते हैं।

5.5 इसी क्रम में आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 8 में आयोग ने अपने परिपत्र क्रमांक 464/KT-LA/2013 दिनांक 02.05.2013 के द्वारा खंड (d) जोडते हुए निम्नांकित प्रावधान किये है :–

"8(d) During election period, Road Transport Authorities, in consultation with police authorities, should take a policy decision under the Motor Vehicle Act whether or not to allow fitting of loud speakers on campaign vehicle. This policy decision should be communicated to all Returning Officers by the Transport Authorities. Based on this policy decision, Returning Officers may, if permitted by the Transport Authorities, grant permission for fitting of loud speakers on campaign vehicles with a stipulation that such speakers should not violate the provisions of Noise Pollution Rules or any other provisions in their State Laws".

5.6 भारत निर्वाचन आयोग के उक्त परिपत्र दिनांक 02.05.2013 के अनुसरण में परिवहन विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प.7(185)परि./नियम/मु./98/34625 दिनांक 09.10.2013 (प्रति संलग्न) के द्वारा विभाग के निम्नांकित निर्णय से अवगत कराया है:–

"चूंकि मोटर यान अधिनियम 1988 तथा इसके अधीन निर्मित मोटर यान अधिनियम एवं नियमों में यानों पर ध्वनि विस्तारण यंत्र/उपकरण लगाने को स्पष्ट रूप से निषेध नहीं किया गया है। अतः उक्त अधिनियम/नियमों के अन्य प्रावधानों, Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 में उपलब्ध, विशेषतः यानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरण लगाने से संबंधित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में सिविल अपील संख्या 3735/2005 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2005 में प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए, राजस्थान राज्य में होने वाले चुनावों के दौरान, चुनाव कार्य के प्रयोजनार्थ वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।"

5.7 अतः निर्वाचन आयोग के उपरोक्त दिशा–निर्देशों एवं परिवहन विभाग द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार वाहनों पर लाउडस्पीकर एवं अन्य उपकरण लगाये जाने की अनुमति दी जा सकती है।

5.8 जहाँ तक चुनाव प्रचार के वाहनों में External Modification का प्रश्न है, ऐसे मामलों में परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनापत्ति लेकर अनुमति दी जा सकती है। परिवहन विभाग का सक्षम अधिकारी मोटरयान अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञेय मानकों की सीमा के दृष्टिगत External Modification की अनुमति दे सकता हैं। वाहनों के आकार में परिवर्तन (Modification) कर उनको चुनाव प्रचार में उपयोग में लाये जाने के सबंध में भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के प्रावधान निम्न प्रकार से है :–

"External modification of vehicles including fitting of Loudspeaker thereon, would be subject to the provisions of the Motor Vehicles Act/Rules and any other Local Act/Rules. Vehicles with modifications and special campaign vehicles like Video Rath etc., can be used only after obtaining the requisite permission from the competent authorities under the Motor Vehicles Act."

6. अन्य बिन्दु –

6.1 रैलियों, जुलूसों, सभाओं के दौरान झंडों, बैनरों, कटआउट्स स्थानीय विधि और प्रतिबंधात्मक आदेशों के अध्यधीन लगाये जा सकते हैं। जुलूसों में राजनैतिक दलों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली टोपी, मास्क, स्कार्फ आदि का उपयोग किये जाने की अनुमति है लेकिन राजनैतिक दलों या अभ्यर्थी द्वारा साड़ी, कमीज आदि परिधान वितरित नहीं किये जा सकते हैं।

6.2 सरकारी/स्थानीय निकाय/उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं के मीटिंग स्थलों/ ऑडिटोरियम/हॉल्स आदि का उपयोग राजनैतिक सभाओं के लिए किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा उपयोग किया जाना किसी विधि या पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों से प्रतिबंधित नहीं हो। इनका उपयोग सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा समानता के आधार पर किया जायेगा और किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा इन पर एकाधिकार नहीं किया जा सकेगा। इन स्थलों पर सभाओं के दौरान बैनर फलैग्स, कटआउट्स आदि आसानी से हटाई जाने वाली सामग्री इस्तेमाल की जा सकती है जिन्हें मीटिंग समाप्त होने के तुरन्त बाद हटा लिया जायेगा। इन स्थलों पर स्थायी या अर्द्धस्थायी श्रेणी की प्रचार सामग्री लगाया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

6.3 स्कूलों/शैक्षणिक संस्थाओं के मैदानों का चुनाव प्रचार के लिए मीटिंगों में उपयोग केवल निम्नांकित शर्तो पर ही किया जा सकता है:–

(i) किसी स्कूल या कॉलेज के शैक्षणिक सत्र पर किसी भी स्थिति में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ें,

(ii) स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को कोई आपत्ति नहीं हो तथा उपखंड अधिकारी से स्कूल/कॉलेज प्रबंधन ने इसके लिए अनुमति प्राप्त कर ली हो,

(iii) "First-come-First Served basis से यह अनुमति दी जायेगी और किसी राजनैतिक दल को इन मैदानों पर एकाधिकार की अनुमति नहीं होगी,

(iv) स्कूल/कॉलेज मैदान का राजनैतिक मीटिंग के लिए आवंटन के संबंध में आयोग के दिशा–निर्देशों का उल्लघंन पर संबंधित उपखंड अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे, और

(v) राजनैतिक दल और अभ्यर्थी तथा प्रचारक भी उपरोक्त मापदंडों का पालना करेंगे और इनका उल्लंघन किसी स्थिति में भी नहीं करेंगे।

(vi) इन मैदानों के प्रचार योजनार्थ उपयोग के उपरान्त बिना किसी क्षति के और यदि कोई क्षति हुई है तो इसके समुचित मुआवजे के साथ यदि कोई हो इन्हें संबंधित संस्था को सुपुर्द किया जायेगा। ऐसे किसी मुआवजे के लिए संबंधित राजनैतिक दल उत्तरदायी होगा।

6.4 यदि कोई राजनैतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी या व्यक्ति विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा आयोग के उपरोक्त निर्देशों के विपरीत सम्पति का विरूपण करते हुए चुनाव प्रचार सामग्री का उपयोग करता है तो रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे अतिचारी को उस प्रचार सामग्री को तुरन्त हटाने हेतु नोटिस जारी करेगा और यदि उत्तरदायी राजनैतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी या व्यक्ति इसकी पालना तुरन्त नहीं करता है तो जिला प्रशासन उस प्रचार सामग्री को हटाने की कार्यवाही करेगा तथा इसका खर्चा संबंधित उत्तरदायी राजनैतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी या व्यक्ति से वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह खर्चा भी संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोडा जायेगा। साथ ही विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे अतिचारी के विरूद्व राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 के प्रावधानों तथा सार्वजनिक सम्पति या अन्य की सम्पति को जान–बूझकर क्षति पहुंचाने से रोकथाम से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

सुलभ संदर्भ के लिए प्रासंगिक पत्रों एवं अधिनियम, 2006 की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.8(2)(12)निर्वा/2013/2214 जयपुर, दिनांकः 6/3/14

प्रतिलिपि समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

CC to all officers, Election.

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

ELECTION COMMISISON OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/7/2008/JS-II

Dated: 7th October, 2008

To

1. **The Secretary to the**
   Government of India
   Ministry of Home Affairs
   New Delhi-110001.

2. **The Chief Secretaries of**
   All States and Union Territories.

3. **The Chief Electoral Officers of**
   All States and Union Territories.

Sub: **Prevention of defacement of property and other campaign related items – revised instructions- regarding.**

Sir,

I am directed to invite a reference to the Commission's letter No. 3/7/2007/JS-II, dated 16th October, 2007, regarding prevention of defacement of property in connection with election campaign.

2. In the past, the Commission has suggested the enactment of special laws by state governments for dealing with defacement of properties effectively. Some states have enacted special legislations to govern and regulate defacement of property, while the other states have legislation that either only cover specific areas, like municipalities etc, or have no legislation at all. A tabular statement on respective positions obtaining in the states in this respect based on the information available in the Commission is enclosed in the schedule appended to this circular (marked as Annexure-1). Since a uniform law throughout the country is not available, what is enforceable differs from state to state. Keeping in view the forthcoming general election to the Lok Sabha due in 2009, it has become necessary to lay down, for smooth conduct of campaign during elections and for clear understanding of all authorities who have the responsibility for the implementation at the field level as also of the observers who are deputed to oversee the elections in different states/constituencies, a comprehensive set of guidelines with respect to defacement of property.

3. After considering all aspects of the matter in depth, the Commission has, in **supersession of the earlier instructions**, laid down the following directions, to the followed by political parties, candidates, individuals and organizations etc. during the election period:

DEFACEMENT OF PUBLIC PLACES

4. (a) No wall writing, pasting of posters/papers or defacement in any other form, or erecting/displaying of cutouts, hoardings, banners flags etc. shall be permitted on any Government premise (including civil structures therein). For this purpose a Government premise would include any Govt. office and the campus wherein the office building is situated.

(b) If the local law expressly permits or provides for writing of slogans, displaying posters, etc., or erecting cut-outs, hoardings, banners, political advertisement, etc., in any public place, (as against a Govt. premise) on payment or otherwise, this may be allowed strictly in accordance with the relevant provisions of the law and subject to Court orders, if any on this subject. It should be ensured that any such place is not dominated/monopolized by any particular party(ies) or candidate(s). All parties and candidates should be provided equal opportunity in this regard.

(c) If there is a specifically earmarked place provided for displaying advertisements in a public place, e.g. bill boards, hoardings etc. and if such space is already let out to any agency for further allocation to individual clients, the District Election Officer through the municipal authority concerned, if any, should ensure that all political parties and candidates get equitable opportunity to have access to such advertisement space for election related advertisements during the election period.

DEFACEMENT OF PRIVATE PLACES

5. (a) In the States where there is no local law on the subject, and subject to the restrictions under the law where there is a law, temporary and easily removable advertisement materials, such as flags and banners may be put up in private premises with the voluntary permission of the occupant. The permission should be an act of free will and not extracted by any pressure or threat. Such banner or flag should not create any nuisance to others. Photo-copy of the voluntary permission in writing obtained in this connection should be submitted to the

Returning Officer within 3 days of putting up the flags and banners in such cases in the manner prescribed in sub-para(c) below.

(b) If the local law does not expressly permit wall writing, pasting of posters, and similar other permanent/semi-permanent defacement which is not easily removable, the same shall not be resorted to under any circumstances, even on the pretext of having obtained the consent of the owner of the property. This will also apply in the states where there is no local law on the subject of prevention of defacement of property.

(c) Where the local law expressly permits wall writings and pasting of posters, putting up hoardings, banners, etc. on private premises with the owner's permission, the contesting candidates or the political parties concerned shall obtain prior written permission from the owner of the property and submit photocopies of the same within 3 days to the Returning Officer or an officer designated by him for the purpose, together with a statement in the enclosed proforma (marked as Annexure-2). The statement in such cases and in the cases mentioned in sub-para (a) above should clearly mention therein the name and address of the owner of the property from whom such permission has been obtained together with expenditure incurred or likely to be incurred for the purpose. Nothing inflammatory or likely to incite disaffection amongst communities shall be permissible in such writings/display. The expenditure incurred in this mode on specific campaign of candidate(s) shall be added to the election expenditure made by the candidate. Expenditure incurred on exclusive campaign for a party without indicating any candidate shall not be added to candidates expenditure. The contesting candidate shall furnish such information village/locality/town-wise, to the Returning Officer, or the authorized officer within 3 days of obtaining the requisite permission, for easy checking by the Returning Officer or the Election Observer or any officer connected with the conduct of elections.

(d) Subject to any restrictions under any local law or any court orders in force, the political parties, candidates, their agents, workers and supporters may put up banners, buntings, flags, cut-outs, on their own property, provided they do so on their own volition, voluntarily and without any pressure from any party, organization or person, and provided further that these do not cause any inconvenience in any manner to anyone else. If such display of banners, flags etc. aims to solicit vote for any particular candidate, then the provisions of Section 171H of the IPC would be attracted and would have to be followed. Section 171H of

the IPC stipulates that whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorises expenses on account of the holding of any public meeting, or upon any advertisement, circular or publication, or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate, shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees: Provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of ten rupees without authority obtains within ten days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate.

DEFACEMENT OF HALLS/AUDITORIUMS AND OTHER PUBLIC PROPERTIES

6. In the case of Halls/Auditoriums/Meeting venues owned/controlled by the Government/ local authorities/PSUs/Cooperatives, if the law/guidelines governing their use do not preclude political meetings therein, there is no objection to it. It shall be ensured that the allocation is done on equitable basis and that there is no monopolization by any political party or candidates. In such venues, displaying of banners, buntings, flags, cut-outs, may be permitted during the period of meetings subject to any restrictions under the law/guidelines in force. Such banners, flags, etc. shall be got removed by the party/individual who used the premises immediately after conclusion of the meeting, and in any case within a reasonable period after the meeting is over. Permanent/semi-permanent defacement such as wall writing/pasting of posters etc. shall not be permitted in such premises.

7. If any political party/association/candidate/person indulges in defacement of any property in violation of the local law, if any, or the above instructions, the Returning Officer/ District Election Officer shall issue notice to the offender for removing the defacement forthwith. If the political party/association/candidate/person does not respond promptly, the district authorities may take action to remove the defacement, and the expenses incurred in the process shall be recovered from the political party/association/candidate/person responsible for the defacement. Further, the amount also shall be added to the election expenditure of the candidate concerned, and action should also be initiated to prosecute the offender under the provisions of the relevant law (under the law relating to prevention of defacement, if any, or under the provisions of the general law for causing willful damage to the property of others).

DEFACEMENT Of VEHICLES

8. (a) In private vehicles, subject to the provisions of the Motor Vehicles Act, Rules thereunder and subject to court orders in force, if any, flags and stickers may be put on the vehicles by the owner of the vehicle on his own volition, in such a manner that they do not cause any inconvenience or distraction to other road users. If such display of flags and stickers aims to solicit vote for any particular candidate, then the provisions of Section 171H of the IPC would be attracted and would have to be followed.

(b) On commercial vehicles, display of any flag, sticker etc. shall not be permitted, unless such vehicle is a vehicle validly used for election campaign after obtaining the requisite permit from the District Election Officer/Returning Officer and the display thereof in original on the wind screen.

(c) External modification of vehicles including fitting of Loudspeaker thereon, would be subject to the provisions of the Motor Vehicles Act/Rules and any other Local Act/Rules. Vehicles with modifications and special campaign vehicles like Video Rath etc., can be used only after obtaining the requisite permission from the competent authorities under the Motor Vehicles Act.

OTHER CAMPAIGN RELATED ITEMS

9. Subject to accounting for the expenditure, the following may be permitted:-

(a) In processions and rallys etc., flags, banners, cutouts etc. can be carried subject to local laws and prohibitory orders in force;

(b) In such procession, wearing of party/candidate supplied special accessories like cap, mask, scarf etc. may be permitted. However, supply of main apparels like saree, shirt, etc. by party/candidate is not permitted.

(c) Educational institutions including their grounds {whether Govt. aided, private or Govt.} shall not be used for political campaigns and rallies.

10. The Chief Electoral Officers are requested to bring the directions of the Commission to the notice of the District Election Officers, Returning Officers and all other election related

authorities, and all political parties in the State, including State units of recognized National and State parties, and all registered un-recognized parties based in the State, and also the contesting candidates (at the time of elections) for information and compliance.

11. Please acknowledge receipt of this letter. The Chief Electoral Officers may kindly confirm that action as required above has been taken.

Yours faithfully,

(K. F. WILFRED)
SECRETARY

INSTRUCTION Sl. No. 62

Election Commissions letter No.3/7/2008/J.S.-II/SDR Dated : 10th November, 2008 addressed to the Chief Secretaries of all states & Union Territories.

Sub:- Instructions on defacement of property- regarding.

I am directed to invite a reference to the Commission's letter No 3/7/2008/JS-II dated 7th October, 2008, on the subject cited above.

It is reported that there is some confusion in understanding the instructions of the Commission with regard to defacement of private property. The instructions in this regard are further elaborated below.

Defacement of private property

Where there is a Law which prohibits defacement

In States which have a Law that prohibits defacement of private property in any manner, the provisions of the law would apply, meaning thereby that there cannot be any defacement in such cases even with the consent of the owner of the property.

Where the Law permits defacement of private property

In States where the Law has express provisions permitting any kind of defacement of private property, with or without conditions, the Commission's instructions provide that the written permission of the owner/occupant of the property should be obtained by the party/candidate/person concerned and a copy of the same should be submitted to the Returning Officers concerned.

Where there is no Law on defacement

In States where there is no Law on defacement of private property, as per the Commission's instructions, temporary and easily removable campaign material such as flags and banners would be permitted with the written permission of the owner/occupant of the property. The permission should be a voluntary one, and copy of the written permission obtained is to be submitted to the Returning Officers concerned.

Please acknowledge receipt of this letter.

G.E.-2009

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.464/INST/2009/EPS Dated:- 18th March, 2009

To,

The Chief Electoral Officers of
All States/UTs.(except Punjab and Haryana)

Subject: Use of School Grounds for campaign purposes during election Process – regarding.

Sir,

It has always been the endeavor of the Commission to ensure free and fair elections and towards that end it has issued instructions from time to time on various aspects of the election process to ensure that there is no damage to any person or property. The Commission attaches highest importance to the integrity and transparency of the electoral process. The main objective of the Commission is to ensure level playing field for all political parties and to see that the ruling party (ies) at the Centre and in the States do not use their official power and machinery to further their prospects in the elections. The election campaign, therefore, forms an effective tool for all political parties to reach out among the common masses and create voting awareness among them.

2. The Commission has been receiving representations from various States/UTs regarding scarcity of grounds for campaign purposes. The political parties have been urging the Commission from time to time to allow them to utilize school and college grounds for political meetings. The Commission has considered the issue and has decided to allow the use of school and college grounds for political meetings provided:

a) Schools and Colleges academic calendar is not disturbed under any circumstances.

b) The School/College Management has no objection for this purpose and prior permission for such campaigning is obtained from the School/College Management as well as Sub Divisional Officer.

c) Such permission is granted on first-come-first served basis and no political party is allowed to monopolize the use of those grounds.

d) Any violation in the allotment of School/College grounds for political meetings will be viewed seriously by the Commission. The accountability in this regard lies with the Sub Divisional Officer, and

e) The Political Parties and Candidates and Campaigners shall take care to ensure that the above norms are not violated.

3. The Commission further directs that, if such grounds are utilized for campaigning purpose it should be returned to the authority concerned, without any damage or with the requisite compensation for the damage caused, if any. The political party/parties restoring back the campaign ground to the concerned school/college authority should be responsible for the payment of such compensation, if any.

4. The above instruction would apply to all States/UTs except Punjab and Haryana where there is express prohibition of the Punjab & Haryana High Court in the matter.

Yours faithfully,

SUMIT MUKHERJEE
(UNDER SECRETARY)

Copy to:- All registered political parties (List enclosed).

STANDARD DISTRIBUTION

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित
वैशाख 13, बुधवार, शाके 1928–मई 3, 2006

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority
Vaisakha 13, Wednesday, Saka 1928–May 3, 2006

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 3, 2006

संख्या प.2 (7) विधि/2/2006.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रेल, 2006 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006
(2006 का अधिनियम सं. 13)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रेल, 2006 को प्राप्त हुई)

सम्पत्ति के विरूपण के निवारण के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका प्रसार राजस्थान राज्य के नगरपालिक क्षेत्रों में होगा।

(3) यह 17 जनवरी, 2006 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **परिभाषाएं.**–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "विरूपण" के अन्तर्गत स्वरूप या सौन्दर्य का ह्रास करना या उसमें हस्तक्षेप करना, जिसे किसी भी प्रकार से नुकसान

[illegible] विरूपण [illegible] विरूपित करना का अर्थान्वयन तदनुसार किया जायेगा;

(ख) "नगरपालिक क्षेत्र" और "नगरपालिका" का वही अर्थ होगा, जो उन्हें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) में समनुदिष्ट किया गया है;

(ग) "सम्पत्ति" के अन्तर्गत कोई भी भवन, झोंपड़ी, [illegible], मूर्ति, प्रांगणभित्ति सहित जल पाइप-लाइन, लोक सड़क, संरचना, दीवार, पेड़, बाड़, खम्भा, बल्ली या कोई भी अन्य परिनिर्माण है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये;

(घ) "लोक स्थान" से (सड़क, गली या मार्ग, जो चाहे आम रास्ता हो या नहीं, और किसी उतराई के स्थान को सम्मिलित करते हुए) कोई भी ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिस पर जनता की पहुंच है या आश्रय लेने का अधिकार है या जिस पर से उसे गुजरने का अधिकार है;

(ङ) "लोक दृश्य" से ऐसी कोई भी वस्तु अभिप्रेत है जो जनता को उसके किसी भी लोक स्थान पर रहते या उससे गुजरते समय दृश्यमान हो; और

(च) "लेखन" के अन्तर्गत स्टेंसिल द्वारा किया गया अलंकरण, अक्षरांकन, सजावट इत्यादि है।

3. सम्पत्ति के विरूपण के लिए शास्ति.-(1) जो कोई भी किसी भी लोक दृश्यान्तर्गत आने वाली किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करके या उस पर थूक कर या पेशाब करके, या पेम्पलेट, पोस्टर इत्यादि चिपका करके या ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी का नाम और पता उपदर्शित करने के प्रयोजन के सिवाय स्याही, चाक, रंग या किसी भी अन्य सामग्री या रीति से लिखकर या चिह्नित करके विरूपित करता है, वह प्रथम अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई भी अपराध किसी अन्य व्यक्ति या किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों के किसी संगम (चाहे वह निगमित हो या नहीं) के फायदे के लिए है वहां ऐसा अन्य व्यक्ति और प्रत्येक अध्यक्ष, सभापति, निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव, एजेन्ट या, यथास्थिति, उसके प्रबंध मण्डल से संबंधित कोई भी अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर दे कि अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा।

4. अपराध करने के प्रयत्न के लिए दण्ड.—जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध करने का प्रयत्न करता है या ऐसा अपराध कारित करवाता है और ऐसे प्रयत्न में अपराध के किये जाने के लिए कोई भी कार्य करता है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

5. दुष्प्रेरक के लिए दण्ड.—कोई भी व्यक्ति, जो धन की पूर्ति या याचना करके, परिसर उपलब्ध करवाकर, सामग्री का प्रदाय करके या जिस किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने को उपाप्त करता है, उसमें परामर्श देता है, सहायक होता है, दुष्प्रेरित करता है या षड्यन्त्रक होता है वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

6. अपराध का संज्ञेय होना.—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

7. लेखन आदि को मिटाने की शक्ति.—धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसे कदम उठाने के लिए सक्षम होगा जो किसी भी सम्पत्ति से कोई भी लेखन मिटाने, उसे विरूपण मुक्त करने या कोई भी चिह्न हटाने के लिए आवश्यक हों।

8. अपराध का शमन करने की शक्ति.—नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे

निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जायें, किसी भी अभियोजन को प्रत्याहृत करने, या किये गये किसी भी अपराध का शमन करने के लिए सक्षम होगा।

9. संरक्षण.—सरकार, किसी भी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक या लोकहित में की गयी या की जाने के लिए आशयित है।

10. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

11. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

12. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

गुमान सिंह,
शासन सचिव

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 3, 2006

No. F.2(7) Vidhi-2/2006.– In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Sampatti Viroopan Nivaran Adhiniyam, 2006 (2006 Ka Adhiniyam Sankhyank 13):–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY ACT, 2006

(Act No. 13 of 2006)

[Received the assent of the President on the 25th day of April, 2006]

An
Act

to provide for the prevention of defacement of property and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:–

1. Short title, extent and commencement.– (1) This Act may be called the Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act, 2006.

(2) It shall extend to the municipal areas of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 17th January, 2006.

2. **Definitions.**--In this Act, unless the context otherwise requires,--

(a) "defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty, damaging, disfiguring, spoiling or injuring in any way whatsoever and the word "deface" shall be construed accordingly;

(b) "municipal area" and "municipality" shall have the same meanings as assigned to them in the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Act No. 38 of 1959);

(c) "property" includes any building, hut, monument, statue, water pipe line, public road, structure, wall including compound wall, tree, fence, post, pole or any other erection as may be notified by the State Government from time to time;

(d) "public place" means any place (including a road, street or way whether a thoroughfare or not and a landing place) to which the public are granted access or have a right to resort or over which they have a right to pass;

(e) "public view" means anything which is visible to public while they are in or passing along any public place; and

(f) "writing" includes decoration, lettering, ornamentation, etc., produced by stencil.

3. **Penalty for defacement of property.**--(1) Whoever defaces any property in public view by defacing or spitting or urinating or pasting pamphlets, posters etc. or writing or marking with ink, chalk, paint or any other material or method except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property, shall be punishable, in case of first offence, with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to one thousand rupees or with both, and in

case of each subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which shall not be less than two hundred rupees but which may extend to two thousand rupees or with both.

(2) Where any offence committed under sub-section (1) is for the benefit of some other perosn or a company or other body corporate or an association of persons (whether incorporated or not) then, such other person and every President, Chairman, Director, Partner, Manager, Secretary, Agent or any other officer or person concerned with the management thereof, as the case may be, shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence.

4. **Punishment for attempt to commit offence.**—Whoever attempts to commit any offence punishable under this Act or causes such offence to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offence, shall be punishable with the punishment provided for the offence.

5. **Punishment for abettor.**—Any person who by the supply of or solicitation for money, the providing of premises, the supply of materials or in any manner whatsoever, procures, counsels, aids, abets, or is accessory to, the commission of any offence under this Act shall be punished with the punishment provided for the offence.

6. **Offence to be cognizable.**—An offence punishable under this Act shall be cognizable.

7. **Power to erase writing etc.**—Without prejudice to the provisions of section 3, it shall be competent for the municipality or any officer authorised by it in this behalf, to take such steps as may be necessary for erasing any writing, freeing any defacement or removing any mark from any property.

8. **Power to compound offence.**—It shall be competent for the municipality or any officer authorised by it in this behalf to withdraw any prosecution, or to compound any offence committed under this Act on such terms and conditions as may be prescribed.

9. Indemnity.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government, any local authority or person for anything which is in good faith or in public interest done or intended to be done under this Act.

10. Act to override other laws.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.

11. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

12. Repeal and savings.—(1) The Rajasthan Prevention of Defacement of Property Ordinance, 2006 (Ordinance No. 2 of 2006) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

गुमान सिंह,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प.8(2)(12)निर्वा/2013/3603 जयपुर, दिनांकः-25.3.14

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर्स),
राजस्थान-- समस्त।

विषयः लोकसभा आम चुनाव, 2014-- सम्पत्ति का विरूपण एवं चुनाव अभियान बाबत।
प्रसंगः भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 3/7/2008/JS-II दिनांक 07--10--2008 एवं दिनांक 10--11--2008 तथा 464/INST/2009/EPS दिनांक 18.03.09 एवं इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 2214 दिनांक 06.03.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आगामी लोकसभा आम चुनाव के लिये चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक/निज़ी स्थलों, मैदानों, वाहनों आदि पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित किये जाने संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर राजस्थान सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 तथा भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्रों द्वारा जारी दिशा--निर्देशों के दृष्टिगत विस्तृत दिशा--निर्देश विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र दिनांक 06.03.2014 द्वारा जारी किये गये थे।

दिनांक 22.03.2014 को श्री सुधीर त्रिपाठी, उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की आयोजित बैठक में कुछ राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में बताया कि वाहन स्वामी द्वारा अपने निजी वाहन पर अपने किसी पसन्द के राजनैतिक दल का झंडा या स्टीकर लगाने पर भी उसे प्रचार वाहन के रूप में मानते हुए सरकारी मशीनरी द्वारा रोक--टोक की जा रही है। इस संबंध में स्पष्ट दिशा--निर्देश उक्त विभागीय पत्र दिनांक 06.03.2014 के बिन्दु संख्या 5.1 से 5.3 पर सुस्पष्ट है, जो निम्न प्रकार हैः--

"5.1 चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वाहनों पर लगाये जाने वाले स्टीकर, झण्डे, बैनर के संबंध में भी आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 8(a) एवं 8(b) में निर्देश दिये है। उक्त पत्र के पैरा 8(a) के अनुसार मोटरयान अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा न्यायिक आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए निजी वाहन स्वामी अपने वाहन पर अपनी पसंद (volition) से किसी दल या अभ्यर्थी का झंडा और स्टीकर लगाता है और साथ ही इससे यदि राहगीरों को उद्विग्नता

अथवा असुविधा नहीं होती हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, अभ्यर्थी की अनुमति लिये बिना, अपने वाहन पर झंडे तथा स्टीकर इस प्रकार से लगाता है जिससे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मत याचना का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–एच आई.पी. सी. के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

5.2 अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के प्रयोजन से लिये गये तथा प्रयोग में लिये गये उसके व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जायेगा तथा बाजार दर से ईंधन पर अनुमानित व्यय तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी के व्यय–लेखे में शामिल किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा लिये गये अन्य वाहनों का प्रयोग प्रचार के प्रयोजन से किया जाता है तो इस प्रकार के वाहनों को किराये पर लेने के लिए अधिसूचित दर के अनुसार अनुमानित व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल किया जायेगा। (आयोग का परिपत्र क्रमांक 76/अनुदेश/2011/ई.ई.एम. दिनांक 07.04.2011)

5.3 वाणिज्यिक वाहनों पर झंडें या स्टीकर लगाने पर उसे प्रचार के उपयोग में लाना माना जायेगा। अतः वाणिज्यिक वाहनों पर झंडे, स्टीकर आदि लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उस वाहन का चुनाव प्रचार अभियान के लिए अपेक्षित अनुमति (Permit) जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त नहीं कर लिया गया हो। ऐसे मामलों में उस वाहन का मूल Permit वाहन के wind screen पर प्रदर्शित करना आवश्यक है।"

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.8(2)(12)निर्वा/2013/3603 जयपुर, दिनांकः 25.3.14

प्रतिलिपि समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

Annexure-56

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

No.76/Instructions/2011/EEM Dated: 7th April, 2011

To
The Chief Electoral Officers of
Assam, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry& West Bengal

Subject: Instruction on Election Expenditure Monitoring – Expense related to candidate – payment by cash - reg.

Sir,

With respect to instruction of even number dated 7th February, 2011 political parties have asked for further clarification. Election Commission has examined the issues and I am directed to clarify the following:

1. It is mentioned in the Commission's instructions No. 76/Instructions/2011/EEM dated 07-02-2011 that the candidates shall incur all election expenses by account payee cheques from Bank account opened for election purpose, excepting minor expenses where it is not possible to issue cheque. Some political parties have asked for clarification, specifying the limits of such cash expenditure. It is hereby clarified that if the amount payable by candidate(s) to any person/entity for any item of expenditure does not exceed Rs.20,000/- during the entire process of election, then such expenditure can be incurred by cash, by withdrawing it from the bank a/c opened for the purpose of election. All other payments are to be made by account payee cheque from the said bank account.

2. As per Section 77 of RP Act, 1951, every candidate shall keep separate and correct account of all expenditure from the date on which he has been nominated and the date of declaration of result (both dates inclusive). It is hereby clarified that all candidates, while maintaining their register of accounts of election expenditure, shall account for all expenditure incurred on the day of filing of nomination (i.e. from day) and also those incurred prior to the date of nomination like expenditure on campaign materials etc. which are used during the post nomination period. All expenses relating to the rally or procession organised while filing nomination shall be included in the accounts of the candidates.

3. When members of public attend a public rally/procession/public meeting of candidate(s) by using their own personal vehicle, without receiving any payment or reimbursement from anybody, it shall not be included in the expenditure of the candidate. However, the personal vehicles used in the rally or public meeting for campaign purpose by putting flags or banners or poster for the benefit of any candidate(s) shall be included in the expenses of the candidate(s). If the commercial vehicles bearing commercial registration number are used for rally or public meeting of any candidate(s) the expenditure on such vehicles shall be included in the account of the candidate(s).

4. One personal vehicle owned and used by the candidate(s) for campaign purpose shall be treated as campaign vehicle and notional expenditure on fuel and driver salary as per the market rate shall be included in the accounts of the candidate(s). In case other vehicles, owned by the candidate(s) are used for campaign purpose, then the notional expenses as per the notified rate for hiring of such vehicles shall be calculated by the candidate(s).

5. The use of flags, caps, mufflers with party symbol has been clarified in Question No. 72 of FAQ on Model Code of Conduct. The expense on such items of flags, mufflers or caps with party symbol shall be accounted for by the party concerned as its election expense. If they bear the name(s) or photo(s) of candidate(s), it shall be added to the accounts of the candidate. However, supply and distribution of main apparels like saree, shirt, T-shirt, dhoti etc. by party/candidate is not permitted as it is bribery of voters.

6. ECI instruction No. 464/INST/2011/EPS dated 28-03-2011has clarified that the expense on the vehicle of the district level party office bearers/leaders (other than star campaigners) for the purpose of their visit to multiple ACs within the district for electioneering shall not be included in the accounts of candidate(s). It is further clarified that if the district functionary himself is a candidate, contesting from the same district and such vehicle is used for his movement in the constituency from where he is contesting, or such vehicle is used for campaign for any particular candidate(s), then the hiring charges of the vehicle shall be included in the accounts of the candidate(s) using the vehicle for campaign purpose.

7. You are requested to bring it to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

Sd/-

(Avinash Kumar)

Copy to:

1. All National Political Parties.
2. All political parties of the States of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry.

Sd/-

(Avinash Kumar)

Under Secretary